रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082020-221145 CG-DL-E-14082020-221145

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2450] No. 2450] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2020/श्रावण 23, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2020/SHRAVANA 23, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

का.आ. 2767(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को मेलिएबल आयरन शॉट्स और ग्रिट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह दिनांक 16.02.2021 से प्रभावी होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

3722 GI/2020 (1)

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
मेलिएबल आयरन शॉट्स और ग्रिट्स	आईएस 9139:1979	फाउंड्री में इस्तेमाल के लिए मेलिएबल आयरन शॉट्स और ग्रिट्स की विशेषताएं

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पी-29026/5/2019-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 13th August, 2020

- **S.O. 2767E**).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—
- 1. Short title, commencement. -(1) This Order may be called the Malleable Iron Shots and Grits (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force with effect from 16.02.2021.
- 2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority. The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the said Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Malleable Iron Shots and Grits	IS 9139:1979	Specification for Malleable iron shots and grits for use in foundries

Note: For the purposes of this table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29026/5/2019-LEI.] ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.